न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 204/2020

1. राजकुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चनाण त0 भादरा।
2. सुभाषचंद्र पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चनाण त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. औमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी चनाण त0 भादरा।

:– प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री रोहताश सहारण **: वादी**

वकील श्री सतवीर पूनिया **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 27-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चनाण के खाता सं0 74/77 के खसरा सं0 1/2 की 2.0480है0, खसरा सं0 2 की 3.9960है0, खसरा सं0 36 की 1.859है0 कुल 7.903है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश के नाम 4/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता रामजीलाल की खातेदारी हुआ करती थी। रामजीलाल से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पी[illegible] राजकुमार [illegible] जाति जाट निवासी चनाण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य [illegible]त्य[illegible]लिपि जमाबंदी ग्राम चनाण संवत 2072–75 खाता सं0 74/77 प्रदर्श 1, [illegible] पंचायत मोठसरां प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस [illegible]ल वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक

Scanned with CamScanner

राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम चनाण के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिसप्रमाण पत्र में औमप्रकाश के दो पुत्र राजकुमार व सुभाषचंद्र के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा चनाण के खाता सं0 74/77 के खसरा सं0 1/2 की 2.0480है0, खसरा सं0 2 की 3.9960है0, खसरा सं0 36 की 1.859है0 कुल 7.903है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश के नाम 4/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चनाण के खाता सं0 74/77 के खसरा सं0 1/2 की 2.0480है0, खसरा सं0 2 की 3.9960है0, खसरा सं0 36 की 1.859है0 कुल 7.903है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश के नाम 4/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 राजकुमार, वादीगण सं0 2 सुभाषचंद्र व प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 204/2020

1. राजकुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चनाण त0 भादरा।
2. सुभाषचंद्र पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी चनाण त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. औमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी चनाण त0 भादरा।

:— प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री रोहताश सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर पूनियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चनाण के खाता सं0 74/77 के खसरा सं0 1/2 की 2.0480है0, खसरा सं0 2 की 3.9960है0, खसरा सं0 36 की 1.859है0 कुल 7.903है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश के नाम 4/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है व यदि कृषि भूमि वैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण सं 1 राजकुमार, वादीगण सं0 2 सुभाषचंद्र व प्रतिवादी सं0 1 औमप्रकाश को वहिस्सा बरावर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27-01-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner